Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged inept handling of the SC & ST Act by the Union Government in the Supreme Court.

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : स्पीकर मैडम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। …(व्यवधान) सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 2018 को दिए अपने आदेश में कहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपियों की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है और जांच और संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है। …(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का यह जो आदेश निकला, इसमें एस.सी., एस.टी. के सारे केसिज़, जिनमें उनके खिलाफ अत्याचार होते थे, उस वक्त एफ.आई.आर. कर के डायरैक्टली अक्यूज़्ड को अरेस्ट किया जाता था। …(व्यवधान) लेकिन यह जजमेंट आने के बाद पहले का वह कानून, जिसे इस सदन ने वर्ष 1989 में बनाया था, जिसे राजीव गांधी जी ने तैयार किया था और वह पास भी हुआ था, उसके बाद वह कानून आगे चलता रहा। …(व्यवधान) लो मैं आपको तारीख भी बताता हूं, मुझे मालूम था कि आप यह बात कहेंगे। …(व्यवधान) The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was passed on 12th September, 1989. The tenure of Shri Rajiv Gandhi as Prime Minister was from 31st October, 1984 to 2nd December, 1989.

Shri V.P. Singh's tenure as Prime Minister was from 2nd December, 1989 to 10th November, 1990. इस बात को याद रखना चाहिए। …(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): यह मामला वी.पी. सिंह जी के समय का है।

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप सामने देखकर बोलते रहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने पास किया था। क्यों गलत क्रेडिट लेते हो ? जिन्होंने किया है आप उनको बोलिए। आपने जो किया आप उसका क्रेडिट लीजिए।

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी आप बोलते जाइये, आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपने ले लिया उनको। यही तो कॉन्स्पीरेसी थी। …(व्यवधान) यह राफेल डील नहीं है। …(व्यवधान) ऐसा मत बोलिए …(व्यवधान) तुम्हारी बहुत बातें हमारे पास हैं। मैडम स्पीकर, मैंनें इसीलिए यह क्लेरिफाई किया है और मुझे मालूम था कि यह सदन में उठेगा, इसलिए मैं इसकी तैयारी से आया हूँ। दूसरी चीज, यह जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है यह बहुत ही खतरनाक जजमेंट एस.सी./एस.टी. के लिए है। यह जजमेंट आने के बाद हम सभी पार्टी के नेताओं ने, एक ही पार्टी नहीं कम से कम सत्रह पार्टी के नेता और एम.पीज., राज्यसभा के मेम्बर्स और लोकसभा के मेम्बर्स 27 मार्च 2018 को प्रेसीडेंट से मिले। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात बोलिए, जीरो आवर में लम्बी बात नहीं, फिर आपको लगेगा कि आपको बात उठाने नहीं दी गयी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, इस मेमोरेण्डम पर सबके सिग्नेचर हैं।

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, जीरो आवर में जीरो जितनी ही बात होती है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम उनसे मिले। मिलने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि यह जो जजमेंट है इसको नल्लिफाई किया जाये। यह डाइलूशन होकर आया है। इसकी वजह से एस.सी./एस.टी. के जो अधिकार थे वे सब अधिकार चले गये हैं तथा अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके बारे में गवर्नेमेंट ने कुछ कदम नहीं उठाया है। चार महीने हो गये हैं। इससे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक लैटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा था।

माननीय अध्यक्ष: हाँ ठीक है, आपने बहुत बार यह मामला उठाया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसमें उन्होंने कहा कि अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस कानून को आप रिस्टोर कर दीजिए और इसके लिए कदम उठाइये। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है। क्या कर रहे हो, क्या नाम है इनका? आप बैठ जाइए। क्या आप मिनिस्टर हैं जो बोल रहे हैं? आपके मिनिस्टर बोलने वाले हैं। आप मिनिस्टर नहीं, आप बैठ जाइए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, 27 मार्च 2018 को हमने दिया।

माननीय अध्यक्ष: बस ठीक है। आप अपनी बात रखिये, इतना लम्बा-चौड़ा भाषण मत दीजिए। जीरो आवर में आपने बात उठाई। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. Yes, the hon. Minister is ready to reply.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, पच्चीस फीसदी लोगों के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन चार महीने हो गये हैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप कम से कम छ: ऑर्डिनेंस ऐसे लाये जो जनता के हित में है, लेकिन इससे महत्व का विषय कोई नहीं हो सकता था । आप कॉर्पोरेट बैंक को मदद करने के लिए लाये, आप दूसरे छोटे-छोटे विश्वविद्यालय बनाने के लिए लाये, इन्सोलवेंसी एण्ड बैंक्रप्टसी के लिए ऑर्डिनेंस लाये, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए लाये, होम्योपैथी सेन्ट्रल कॉउन्सिल के लिए लाये, कॉमर्शियल कोर्ट्स के लिए ऑर्डिनेंस लाये, फ्यूजिटिव इकॉनोमिक ऑफेण्डर्स के लिए लाये, क्रिमिनल लॉ के लिए लाये । ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप समर्थन ले लीजिए, लेकिन ऐसे विषय में आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिस विषय में, मैडम आप उधर देख रही हैं.....

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आपको बोलने का पूरा समय दे रही हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप ऐसे विषयों पर ऑर्डिनेंस लाये, लेकिन एस.सी./एस.टी. प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाये?

यह मैं जानना चाहता हूं? Why is it so important?.... (*Interruptions*) हजारों लोग रोज़ मर रहे हैं। हर 15 मिनट में एक अत्याचार होता है। आज तक 47 हजार अत्याचार और अन्याय हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इसके लिए जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था, जिसको इग्नोर कर दिया गया। आप कम से कम इसका बिल कल सदन में पेश कीजिए, हम सब मिलकर उसको पास कर देंगे । यही मेरी डिमांड है। आप ऐसे हाथ मत जोड़िए ।

माननीय अध्यक्ष : आप मिनिस्टर को बोलने दीजिए। मैं आपको कम्प्लीट करने के लिए धन्यवाद दे रही हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : खाने के एक दांत और दिखाने के लिए दूसरे दांत, इस तरह से नहीं होना चाहिए । इसलिए इनको एक्शन लेना चाहिए, यही मैं विनती करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : आपको थोड़े में बोलना सीखना चाहिए। आप जैसा व्यक्ति ज़ीरो ऑवर को नहीं मानेगा तो मैं कैसे सदन को संचालित करूंगी? इसलिए आपको नमस्कार कर रही थी ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना,

श्री आर० ध्रुवनारायण,

श्री पी०के० बिजू और

एडवोकेट जाएस जॉर्ज को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, सदन के सम्मानित सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के संबंध में प्रश्न खड़ा किया है। मुझे इससे आश्चर्य हुआ है कि इस मुद्दे को इस समय सदन में उठाने का क्या औचित्य था? शायद इनको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि कल श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की केबिनेट ने एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ बिल को अप्रूव कर दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग क्या सुनने का धैर्य भी नहीं रखेंगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बहुत समझदार हैं। आप सुनने का धैर्य भी रखिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, सारा देश इस बात से अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप इस एक्ट में महसूस किया जा रहा था कि डाइलूशन हुआ है। उसके तत्काल बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि हम इसी प्रकार का बिल लाएंगे और जरूरत पड़ी तो इससे भी कड़ा बिल लेकर आएंगे। यह उनका कमिटमेंट था। उन्होंने कहा था कि इसमें इफ़ और बट या कोमा में कोई चैंज होगा और न ही कोई फुलस्टॉप में चैंज होगा। यह वायदा हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ किया था। उसी वादे के अनुरूप ही केबिनेट ने कल एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ बिल को अपना अप्रूवल दे दिया है और हम इसी सत्र में उस बिल को पारित कराना चाहेंगे और एक्ट के रूप में उसे लागू करेंगे।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मैं एक क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, जब बिल चर्चा के लिए आएगा तब आप पूछिएगा।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record now. Only Saugata Roy *ji* is allowed to speak.

… (*Interruptions*) *

HON. SPEAKER: Saugata Roy *ji,* every day, you are raising this matter. Still I am allowing you. Please be brief, then. You raise it every day; I have no objection.